# न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 54 / 2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018 / 00032)

1. रामलाल पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी भोरावतान पुरानी तन मूण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. देवाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी भोरावतान पुरानी तन मूण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. रामसहाय पुत्र मांगीलाल जाति जाट ग्राम निवासी ढाणी भोरावतान पुरानी तन मूण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. श्रीमती मीरा देवी पत्नी रामावतार जाति जोगी निवासी ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. रूडा नाथ पुत्र शंकरनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर जो अपील संख्या 05 / 2011 उनवानी मीरा देवी बनाम रूडाराम एवं अन्य पारितशुदा दिनांक 30.09.2011

उपस्थित–

1. श्री महादेव जाट, वकील अपीलान्ट
2. श्री बनवारी लाल शर्मा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक –27.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 30.09.2011 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 20.02.2018 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर के खातेदार गंगू पुत्र उदानाथ की मृत्यु ग्राम मुण्डोता में दिनांक 21.05.1966 को हुई थी। पटवारी हल्का, ग्राम पंचायत सरपंच व रेस्पो. नम्बर 1 रूडाराम के पिता ने शंकरनाथ ने आपस में साजकर दिनांक 16.07.1963 को जीवित खातेदार को मृत बताकर उसके एक ही पुत्र शंकरनाथ के नाम अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 16.07.1963 को तस्दीक कर दिया। नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्धान्तों के विरूद्व जीवित व्यक्ति को मृत बताकर तस्दीक किया गया है, जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होने से निरस्तनीय है। उक्त नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत मृतक के एक ही पुत्र के नाम तस्दीक किया गया है जबकि शंकरनाथ के अलावा मृतक का सगा पुत्र मंगलनाथ भी जीवित था। जिसकी एकमात्र पुत्री अपीलान्ट है जिसका मृतक गंगूनाथ की समस्त संपति व कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा निहित है। विवादित आराजीयात पर अपने पिता के जीवनकाल से ही अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा शादी के बाद चौमू में निवास करती है व अन्य व्यक्तियों व अपीलांट के पिता को पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया गया न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर ने निर्णय दिनांक 30.09.2011 से



संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ना0करण संख्या 138 पर ग्रा0पं0 मुण्डोता द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 16.07.1963 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार आमेर को रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार आमेर को वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 30.09.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स रामलाल पुत्र नानूराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर दिनांक 30.09.2011 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर में साबिका खसरा नम्बर 670 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी शंकरनाथ पुत्र गंगूनाथ एवं सुवानाथ पुत्र सुक्खानाथ के नाम दर्ज थी उक्त खातेदारी की कृषि भूमि को अपीलार्थी संख्या 1 व 2 एवं अपीलार्थी संख्या 3 के स्वर्गीय भाई हनुमान ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 9.7.1963 को क्रय कर मौके पर उक्त आराजी का कब्जा सम्भाल काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा रूडानाथ के साथ साजिश कर अपने आपको मंगलनाथ की एकमात्र वारिस जाहिर कर न्यायालय सिविल जज एवं न्यायिक मजि0 (क.ख.) जयपुर जिला जयपुर के समक्ष दिनांक 19.9.2008 को एक दीवानी वाद धो णा, तकासमा एवं विक्रय पत्र निरस्त करने बाबत अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को रूडा राम पुत्र शंकरनाथ जानबूझकर गलत दर्ज किया था जबकि शंकरनाथ का पुत्र रूडानाथ था। उक्त वादपत्र में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जानबूझकर कतई गलत सजरा खानदान प्रस्तुत किया है साथ ही मृतक गंगूनाथ, मंगलनाथ का फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र झूंठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर बनाकर उक्त वाद के साथ प्रस्तुत किया था। अपीलार्थीगण की उक्त वाद की तामील होने पर उन्हें उक्त फर्जी प्रमाण पत्रों की जानकारी होने पर उन्होनें प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती मीरा देवी के विरूद्ध पुलिस थाना कालवाड जयपुर में प्रथम सूचना संख्या 21/2012 बजुर्म 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी में दर्ज करवायी उक्त रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती मीरा देवी के विरूद्ध न्यायालय अपर सिविल जज एवं महानगर दण्डनायक क्रम–33, जयपुर के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया उक्त चालान के आधार पर न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा देवी के विरूद्ध प्रथम दृ टया अपराध हस्ब दफा 420, 181 ता0हि0 का मानते हुये आरोप आरोपित कर अन्वेक्षण शुरू कर रखी है जिससे स्पष्ट जाहिर है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा गंगूनाथ का कतई फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना कर दीवानी वाद प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दीवानी वाद उनवानी श्रीमती मीरा देवी बनाम रामलाल एवं अन्य को दीवानी न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में दिनांक 20.12.2012 को खारिज फरमा इस आशय की डिक्री पारित कर दी। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने आपस साजिश करके एक अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष कतई झूंठे एवं मनगढंत तथ्य दर्ज कर असल सत्य तथ्यों को छुपाते हुये नामान्तकरण 138 दिनांक 16.7.1963 को निरस्त फरमाने हेतु प्रस्तुत की जिसमें उसने कतई गलत सजरा खानदान दर्ज कर गंगू के तीन पुत्र शंकरनाथ, मंगलनाथ, कैलाश अंकित किये है एवं शंकरनाथ के एक मात्र पुत्र रूडाराम दर्शाया है उक्त अपील में कोई खसरा नम्बरों का जानबूझकर अंकन नहीं किया गया है। एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 साजिश कर अपीलाधीन आदेश आपसी सहमति से दिनांक 30.09.2011 को पारित करवा लिया जबकि उक्त अपील में अपीलार्थीगण को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि उक्त आदेश से अपीलार्थीगण पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की पूर्ण जानकारी में था कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 833, 834, 835 पर काबिज काश्त है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के मध्य अपील से पूर्व से ही दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे वादग्रस्त कृषि भूमि को लेकर अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन थे परन्तु उक्त मुकदमों के तथ्यों को छुपाते हुये प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपील माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धान्त के अनुसार कोई भी पक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुये कोई निर्णय अपने हक में पारित करवाता है तो वह छल की श्रेणी में माना जाकर उस पक्षकार के मामलों को न्यायालय से बाहर कर देना चाहिये। साबिका खसरा नम्बर 670 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा पर अपीलार्थीगण 1963 से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा विक्रयपत्र के आधार पर उनके हक में दिनांक 16.11.1963 को नामान्तकरण संख्या 140 दर्ज फरमाई गयी है तथा वे उक्त कृष्यि भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। एवं अपील के पक्षकार होने के पश्चात भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 आपस में साजिश कर अपीलाधीन ओदश विधि विरूद्ध पारित फरमाया है। प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा दीवानी वाद में अपनी माता का नाम मुरली देवी होना जाहिर किया है तथा अपनी उम्र 31 वर्ष सन 2007 में होना अंकित, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में किया है एवं अपनी माता की मृत्यु के पश्चात किस प्रकार जन्म लिया। ऐसी सूरज में प्रत्यर्थी मंगलनाथ की पुत्री हो पूर्ण रूप से सन्देहप्रद है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि प्रत्यर्थीगण 1 व 2 ने आपस में साजिश कर उक्त कृषि भूमि को अपीलार्थीगण से हडपने की नियत से फर्जी दस्तावेजात तैयार कर उनके आधार पर मुकदमें कर रहे हैं ऐसी सूरत में अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जिस मृत्यु प्रमाण पत्र को आधार बनाकर अपील प्रस्तुत की है उस मृत्यु प्रमाण पत्र को पुलिस थाना कालवाड जयपुर द्वारा फर्जी मानकर प्रत्यर्थी संख्या-1 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत कर दिया है तथा न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-1 पर आरोप आरोपित कर देने के पश्चात उक्त फर्जी प्रमाण पत्र को आधार बनाकर प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित फरमाया है जो निरस्तनीय है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 16.7.1963 की जानकारी दिनांक 15.10.2007 में हो जाने पर उसके द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 138 की जानकारी 15.1.2009 अंकित की है जो अपने आप में मनगढंत एवं फर्जी होना स्प  ट जाहीर है तथा दिनांक 15.1.2009 से 2011 तक की विलम्ब के बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किये ना ही विलम्ब को दरगुजारी बाबत कोई आदेश माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ना फरमा विधिक भूल की है। अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 18.01.2018 से होने के पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से आदेश की नकल प्राप्त कर दस्तावेजात की प्रति प्राप्त कर बिना किसी विलम्ब के अपील हाजा प्रस्तुत की है तथा विलम्ब को क्षमा हेतु पृथक से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से अपील हाजा प्रस्तुत कर सविनय निवेदन है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2011 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट 1 ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर के खातेदार गंगू पुत्र उदानाथ की मृत्यु ग्राम मुण्डोता में दिनांक 21.05.1966 को हुई थी। पटवारी हल्का, ग्राम पंचायत सरपंच व रेस्पो. नम्बर 1 रूडाराम के पिता ने शंकरनाथ ने आपस में साजकर दिनांक 16.07.1963 को जीवित खातेदार को मृत बताकर उसके एक ही पुत्र शंकरनाथ के नाम अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 16.07.1963 को तस्दीक कर दिया। नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्धान्तों के विरूद्ध जीवित व्यक्ति को मृत बताकर तस्दीक किया गया है, जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होने से निरस्तनीय है। उक्त नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत मृतक के एक ही पुत्र के नाम



संभागीय आयुक्त
जयपुर

तस्दीक किया गया है जबकि शंकरनाथ के अलावा मृतक का सगा पुत्र मंगलनाथ भी जीवित था। जिसकी एकमात्र पुत्री अपीलान्ट है जिसका मृतक गंगूनाथ की समस्त संपति व कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा निहित है। विवादित आराजीयात पर अपने पिता के जीवनकाल से ही अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा ादी के बाद चौमूं में निवास करती है व अन्य व्यक्तियों व अपीलांट के पिता को पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया गया न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर ने निर्णय दिनांक 30.09.2011 से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ना0करण संख्या 138 पर ग्रा0पं0 मुण्डोता द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 16.07.1963 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार आमेर को रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार आमेर को वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये हैं। उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 30.09.2011 को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद वस्तुतः वाद नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 16.07.1963 ग्राम मुण्डोता में स्थित कृषि भूमि के सम्बन्ध में है। जिसकी खातेदारी गंगू पुत्र उदानाथ निवासी ग्राम मुण्डोता के नाम से थी। गंगू पुत्र उदानाथ का स्वर्गवास दिनांक 21.05.1966 हो जाने पर ग्राम पंचायत सरपंच ने रूडाराम पिता शंकरनाथ के नाम अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 16.07.1963 को तस्दीक कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स श्रीमती मीरा देवी पुत्री स्व. मंगलनाथ पत्नि रामावतार जाति योगी निवासी मुण्डोता तहसील आमेर हाल चौमूं जिला जयपुर द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में की गई है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित कृषि भूमि खातेदार गंगू पुत्र उदानाथ जाति जोगी के नाम से दर्ज रही है। जिससे साबित है कि आराजी भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि रही है। ग्राम पंचायत सरपंच ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रूडाराम के पिता शंकरनाथ के नाम अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 16.07.1963 तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मीरा देवी पुत्री स्व. मंगलनाथ पत्नि रामावतार नाथ जाति जोगी निवासी ग्राम मूंडोता तहसील आमेर हाल चौमूं जिला जयपुर ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क0 खण्ड) क्रम-4, जयपुर जिला जयपुर के यहां उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट के विरूद्ध दीवानी वाद संख्या 42/2009 उनवानी मीरा देवी बनाम रामलाल द्वारा वाद बाबत धोषणा, तकास्मा एवं निरस्त किए जाने के विक्रय पत्र एवं स्थाई निशेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। जिसे अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क0 खण्ड) क्रम-4, जयपुर जिला जयपुर ने निर्णय दिनांक 20.12.2012 द्वारा वादिया की ओर से प्रस्तुत वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं करने और प्रतिवादी की ओर से भी कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर वादिया की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र साक्ष्य अभाव में सव्यय खारिज किया गया है। ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर में साबिका खसरा नम्बर 670 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी ंकरनाथ पुत्र गंगूनाथ एवं सुवानाथ पुत्र सुक्खानाथ के नाम दर्ज थी उक्त खातेदारी की कृ ि भूमि को अपीलार्थी संख्या 1 व 2 एवं अपीलार्थी संख्या 3 के स्वर्गीय भाई हनुमान ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 9.7.1963 को क्रय कर मौके पर उक्त आराजी का कब्जा सम्भाल काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा रूडानाथ के साथ साजिश कर अपने आपको मंगलनाथ की एकमात्र वारिस जाहिर कर न्यायालय सिविल जज एवं न्यायिक मजि0



संभागीय आयुक्त
जयपुर

(क.ख.) जयपुर जिला जयपुर के समक्ष दिनांक 19.9.2008 को एक दीवानी वाद धोषणा, तकासमा एवं विक्रय पत्र निरस्त करने बाबत अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को रूडा राम पुत्र शंकरनाथ जानबूझकर गलत दर्ज किया था जबकि शंकरनाथ का पुत्र रूडानाथ था। ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर में साबिका खसरा नम्बर 670 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी शंकरनाथ पुत्र गंगूनाथ एवं सुवानाथ पुत्र सुक्खानाथ के नाम दर्ज थी उक्त खातेदारी की कृषि भूमि को अपीलार्थी संख्या 1 व 2 एवं अपीलार्थी संख्या 3 के स्वर्गीय भाई हनुमान ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 9.7.1963 को क्रय कर मौके पर उक्त आराजी का कब्जा सम्भाल काबिज काश्त चले आ रहे हैं। तथा विक्रयपत्र के आधार पर उनके हक में दिनांक 16.11.1963 को नामान्तकरण संख्या 140 दर्ज फरमाई गयी है तथा वे उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। एवं अपील के पक्षकार होने के पश्चात भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 आपस में साजिश कर अपीलाधीन ओदश विधि विरूद्ध पारित फरमाया है। अधिनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2011 पारित करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>अतः आदेश है कि</u>**: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2011 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तकरण संख्या 138 पर ग्राम पंचायत मुण्डोता द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 16.07.1963 बहाल किया जाता है।

(डॉ.आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर